भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 840**

**22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य**

**840. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

**चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

**श्रीमती छाया वर्माः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) कृषि उपज का लाभकारी मूल्य देने हेतु गत तीन वर्षों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा ‘स्वामीनाथन आयोग’ की सिफारिश पर अमल की दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि लागत कम करने तथा उपज को फायदे का सौदा बनाने हेतु

उठाए गए कदम जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय सभी कृषि उपज की खरीद के लिए बिचौलियों को हटाने और किसानों की पूरी फसलों, जिसे वे बेचना चाहते हैं, को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने हेतु बाध्यकारी नियम बनाने पर विचार करेगा?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क): सरकार, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्‍य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्‍य संगत कारकों पर विचार करके किसानों को लाभकारी मूल्‍य देने के लिए 22 मुख्‍य फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) और गन्‍ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) निर्धारित करती है। सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पारिवारिक श्रम सहित अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत (ए2+एफएल) पर पर्याप्‍त लाभ उपलब्‍ध कराता है। एमएसपी घोषित करने के अलावा सरकार नामित खरीद एजेंसियों के माध्‍यम से कृषि उत्‍पादों की खरीद भी आयोजित करती है। तथापि, किसान को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में अपना माल बेचने का विकल्‍प है, जो भी उन्‍हें लाभदायक हो।

सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत शामिल नहीं किये गये कृषि और बागवानी जिन्‍सों की खरीद के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्‍वित करती है। एमआईएस का कार्यान्‍वयन इन जिन्‍सों के उत्‍पादकों द्वारा दबाव में अपना उत्‍पाद बेचने से बचाने के लिए उस समय किया जाता है जब बंपर फसल की स्‍थिति में इन जिन्‍सों के मूल्‍य आर्थिक स्‍तर/उत्‍पादन लागत से कम हो जाते है। खरीद एजेन्‍सियों को हुई हानि, यदि कोई हो, केन्‍द्र सरकार और संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर (पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मामले में 75:25) वहन की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने कई उपाय किये हैं जिनमें किसानों में एमएसपी प्रचालनों के बारे में जागरूकता लाना; किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना; ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार का कार्यान्‍वयन शामिल हैं।

प्रो० एम०एस० स्‍वामीनाथन की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) ने सिफारिश की थी कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तथापि, सीएसीपी द्वारा सिफारिश किया गया न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एक वस्‍तुनिष्‍ठ मानक पर आधारित होता है जिसमें कई संगत कारकों पर विचार किया जाता है और लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ विहित करने से अंतर फसल समता और बाजार तंत्र प्रभावित होगा। इसलिए, सरकार द्वारा एमएसपी संबंधी सिफारिश स्‍वीकार नहीं की गई है। तथापि, 2017-18 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी में भारित औसत उत्‍पादन लागत (ए2+एफएल) पर लाभ 50 प्रतिशत से अधिक है जिसमें गेहूँ के लिए 112.4 प्रतिशत, रेपसीड/सरसों के लिए 88.4 प्रतिशत, मसूर के लिए 79.6 प्रतिशत, चना के लिए 78.8 प्रतिशत, जौ के लिए 66.9 प्रतिशत, उड़द के लिए 65.4 प्रतिशत, तूर के लिए 64.3 प्रतिशत और बाजरा के लिए 50.2 प्रतिशत लाभ है।

(ख): सरकार ने आदान लागत कम करने और कृषि उत्‍पादन तथा उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं जिनमें राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) शामिल हैं। सरकार के लगातार उपायो और अच्‍छी मानसून स्‍थितियों के परिणामस्‍वरूप 2016-17 में खाद्यान्‍न उत्‍पादन 275.67 मिलियन टन के रिकार्ड स्‍तर पर पहुंच गया है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। बाजार ताकतों को मूल्‍य प्राप्‍ति प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए और किसानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्‍यम से किसानों से सीधे कृषि उत्‍पाद की खरीद हेतु मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्‍य स्‍थिरीकरण निधि (पीएसएफ) का कार्यान्‍वयन करती है। बेहतर मूल्‍य प्राप्‍ति सुसाध्‍य करने और किसानों को लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए सरकार ने ‘ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार’ (ई-एनएएम) के तहत एक अखिल भारतीय इलेक्‍ट्रॉनिक व्‍यापार प्‍लेटफार्म विकासित करने के लिए एक योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्‍य 585 विनियमित बाजारों को सामान्‍य ई-बाजार प्‍लेटफार्म के साथ एकीकृत करना है ताकि किसानों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित हो। प्रत्‍येक राज्‍य को 3 मुख्‍य सुधार करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है- इलेक्‍ट्रॉनिक व्‍यापार की अनुमति देना, पूरे राज्‍य में एक हीं लाईसेंस को वैध करना और एकल प्रवेश बिंदु बाजार शुल्‍क। 14 राज्‍यों के 470 बाजारों को पहले ही ई-एनएएम प्‍लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है।

\*\*\*\*\*